Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- नगर निगम हवामहल आमेर जोन, जयपुर में पट्टा/लीज शाखा के कार्यालय जमादार रामसिंह यादव 50,000/– रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **रामसिंह यादव पुत्र मूलचन्द यादव, उम्र 28 साल निवासी किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल कार्यालय जमादार पट्टा/लीज शाखा, हवामहल–आमेर जोन, नगर निगम जयपुर** को 50,000/– रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के पिताजी के नाम मकान का पट्टा देने की एवज में आरोपी रामसिंह यादव द्वारा 02 लाख रूपये की मांग करने के तथ्य प्रकट हुए।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक–द्वितीय श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में ए.सी. बी. जयपुर नगर तृतीय जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश नवल** के नेतृत्व में **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेन्द्र पंचौली** एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी रामसिंह यादव कार्यालय जमादार पट्टाध्लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम जयपुर को 50,000/– रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला** के सुपरवीजन में आरोपी रामसिंह यादव कार्यालय जमादार पट्टा/लीज शाखा, हवामहल आमेर जोन, नगर निगम जयपुर से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी